

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **01-04-2020**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 275/- perday or Rs. 8,250/- per month w.e.f. **01-04-2020**.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No.Shram (A) 4-2/2018-L Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

21st July, 2020

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **1-4-2020** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/	275.00	8,250/-

Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
-----------------------------	---------------	---------------

Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant	292.00	8,760/-
--	---------------	----------------

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 1630.42 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1818.64 per 100 cft.

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
--------------------------	---------------	---------------

Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/	319.17	9,575/-
---	---------------	----------------

Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roelain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jinter/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	379.50	11,385/-

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts	319.17	9,575/-

Clerk/Stenographer.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)
Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L Dated Shimla-2, the

21st July, 2020.

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020;**

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2020 as under:-**

General Staff Unskilled Rs.275/- per day, Rs. 8,250/- per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Rs. 275/- per day, Rs. 8,250/- per month

Semiskilled

Rs. 285.17 per day, Rs.8, 555/- per month

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter

6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt.Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade. **Rs. 311.52 per day or Rs. 9,346/- per month.**

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor **Rs. 345.50 per day or Rs. 10,365/- per month.**

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 311.52 per day or Rs. 9,346/-per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs.327.50 per day or Rs.9,825/- per month.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs.386.25 per day

Rs. 11,588/-per month.

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1.Driver	Rs.349.12	Rs. 10,474/-
2.Conductor	Rs.318.60	Rs. 9,558/-
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.298.12	Rs. 8,944 /-
4.Part-Time Booking Clerk	Rs.168.72	Rs. 5,062/-

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2020 as under:-**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rs.275/-Daily Rs.8,250/- Monthly.	Rs 249.47 Daily Rs.7,484/- Monthly
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.290.55 Daily.	Rs. 264.12 Daily

Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.

**Rs.8,717/-
Monthly.**

Rs.7,924/- Monthly

Skilled:

Rupees.

Rupees.

Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio

Rs.319.17 Daily.

Rs. 293.37Daily

Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant

Rs. 9,575/-

Rs.8,801/- Monthly.

Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/

Monthly.

Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/

Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder /

Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/

Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer

/Barber/Regular machine man/ machinist/

Welder/Moulder/Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptio

nist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head

bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate

holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Rupees.

Rupees.

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head

Rs.332.12 Daily.

Rs. 307.40 daily

Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring) **Rs. 9,964/- Monthly** **Rs.9,222/- Monthly**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)
Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1 Felling of trees:	Rs.275.00	Rs.8,250/-
1.Lopper (Changi)	Rs.290.55	Rs.8,717/-
2.Feller (Garani)	Rs.281.12	Rs.8,434/-
2 Logging and sawing including timber passing:		

1.Dresser (Panchani)	Rs.281.12	Rs.8,434/Rs.10,
2.Sawyer (Charani)	Rs.345.50	365/-
3.Blacksmith		
	Rs.324.40	Rs.9,732/-
3 Carriage, stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs.281.12	Rs.8,434/
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.281.12	Rs.8,434/-
4 Carriage of timber by Aerial ropeways :		
1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.345.50	Rs.10,365/- Rs.
2.Span Mistry	Rs.324.40	9,732/-
5 Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bhaan and Darya Bahaan (River floting):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs.370.15	Rs.11,105/-
2. Taru	Rs.355.27	Rs. 10,658/-
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.332.12	Rs. 9,964/-
4. Darya-man	Rs.355.27	Rs.10,658/-
5. Ghalu	Rs.302.17	Rs.9,065/-
6. Jamadar	Rs.302.17	Rs.9,065/-
6 Mechanised logging and timber extraction:		
1.Surveyor	Rs.347.57	Rs.10,427
2.Ski-line Operator	Rs.324.40	Rs.9,732
3 Truck Driver	Rs.304.30	Rs.9,129
4. Compressor Driver	Rs.304.30	Rs.9,129

7 Clerical Staff:

1.Manager	Rs.400.12	Rs.12,004
2.Accountant	Rs.308.97	Rs. 9,269
3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 281.12	Rs. 8,434

8. Saw Mill Workers:

1.Band Saw Mistry	Rs.324.40	Rs.9,732
2.Supervisor	Rs.321.29	Rs. 9,639
3.Head Mistry	Rs. 324.40	Rs.9,732
4.Boiler Driver	Rs.324.40	Rs.9,732
5.Assistant Mistry	Rs.285.17	Rs.8,555
6.Planner Mistry	Rs.285.17	Rs.8,555
7.Helper	Rs.281.12	Rs.8,434
8.Cutter man	Rs.281.12	Rs.8,434

9 Katha Extraction:

1.Feller and Chipper	Rs.281.12	Rs.8,434
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.280.55	Rs.8,417

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= **Rs.379.50**. Daily. **Rs.11,385 Monthly**.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July,2020

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 275.00 Daily. Rs. 8,250 Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	Rs. 283.47 Daily. Rs. 8,504 Monthly.

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, **Rs. 319.17 Daily.**
Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, **Rs. 9,575 Monthly.**
Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman,
Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant
Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman,
Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are
working in the same trade.

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman **Rs. 379.50 Daily.**
Rs. 11,385 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment

or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled

**Rs.275.00.
Daily.Rs.8,250/-
Monthly.**

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III,

Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame

Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs.319.17 Daily.

Rs.9,575 Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughterman Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I,

Rs.379.50 Daily.

**Rs.11,385/-
Monthly.**

Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter
Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs.295.02 Daily.

Rs.8,851/- Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)
Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.
(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 275.00 Daily or Rs. 8,250/- Monthly.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **19.89** per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **15.74** per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs **11.73** per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 19.89, Rs. 15.74 Rs. 11.73 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs.279.57** per day, **Rs.8387/-** per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor, **Rs. 275-00 daily**
relling room workers, shifting Mazdoor, **Rs. 8,250/- Monthly.**
Fermenting room workers, tea boys,
sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, **Rs. 275-00 daily**
Muharirs etc. who maintain records of a field work **Rs. 8,250/- Monthly.**
and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 420.22	Rs.12,607/- per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 319.17	Rs.9,575/- per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 334.53	Rs.10,036/- per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.279.57	Rs.8,387/- per month plus free benefit as admissible.
		Daily Monthly
5. Compounder		Rs.389.27 Rs.11,678/-

6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.349.12	Rs.10,474/-
7. Mechanic ,	Rs.392.40	Rs.11,772/-
8. Assistant Mechanic	Rs.347.57	Rs.10,427/-
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I	Rs.392.40	Rs.11,772/-
10. Electrician-cum- Mechanic Grade-II	Rs.347.57	Rs.10,427/-

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN
CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 275 per day or Rs. 8,250/- per month
Semi-skilled	Rs. 283.47 P.D. or Rs. 8,504/- per month
Skilled & clerical staff	Rs. 319.17 P.D. or Rs. 9,575/- per month
Highly-Skilled	Rs. 379.50 P.D. or Rs. 11,385/- per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

10. HOTEL AND RESTAURANTS

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/	Rs. 275-00 Daily Rs.8,250/- Monthly	Rs. 249.47 Daily Rs. 7,484/- Monthly

any worker doing un-skilled job.

SEMI-SKILLED WORKER:

Rupees

Rupees

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman
/ Assistant Baker/Cook/ Assistant
Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling
Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide
/Assistant Mistry/ Assistant Fitter/
Sewerman/ Assistant Turner /Assistant

Rs. 290.55 Daily

Rs 265.11

Rs.8,717/- Monthly

Rs.7,953/- Monthly.

Welder/ Assistant Electrician/ Assistant
Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/
Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water
Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/
White Washer/ Pakora and Chana
Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store
Keeper/Distributor and Assistant
Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone
Attendant/ ITI certificate holder who are
working in the other trade.

SKILLED WORKERS :

Rupees.

Rupees.

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St
eward/Butler/Draughtsman/TelephoneOpera
tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store
Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western
Style

Rs. 319.17 Daily

Rs. 293.37 Daily

Rs.9,575/- Monthly.

Rs. 8,801/- Monthly.

Hotel.) ITI certificate holder who
are working in the same trade.

Highly Skilled

Rupees.

Rupees.

Store Keeper/ Clerks (Graduates)

Rs. 332.12 Daily

Rs. 307.40

Accountant /Head Cashier/ Head Cook/
Head Butler/Head Baker/ Head **Rs.9,964/- Monthly.** **Rs. 9,222/-Monthly.**
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/
Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter
(Tailoring)

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)
Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L Dated Shimla-2, the 21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)
Under Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 275.00 per day or Rs. 8,250/- per month
Semi-skilled	Rs. 290.55 P.D. or Rs. 8,717/- per month
Skilled	Rs. 319.17 P.D. or Rs. 9,575/- per month
Highly skilled	Rs. 332.12 P.D. or Rs 9,964/- per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

12. Hydro Power Projects

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant,	275.00	8,250/-

Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to

Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator , Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali **292** **8,760/-**

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi.

319.17 9,575/-**HIGHLY SKILLED**

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi

379.50 11,385/-

(Above 8 Years Experience).

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No.Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs.275.00	Rs.8,250/-
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.283.47	Rs. 8,504/-
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D	Rs. 319.17	Rs. 9,575/-

Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer. **Rs. 379.50 Rs. 11,385/-**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	275.00	249.47
	8,250/- Monthly.	7,484/- Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security	290.55	264.12 Daily.

Sweeper, Operation Theatre Assistant,	Daily.	
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi,		7,924/- Monthly.
Complaint Attendant, Ward Boy and	8,717/-	
Ward Attendant (0-3 Years Experience)	Monthly	

Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)	319.17 Daily.	293.37 Daily
	9,575/- Monthly	8,801/- Monthly.

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant and Stenographer	332.12 Daily.	307.40 daily
	9,964/- Monthly	9,222/- Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20.05.2020** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and	275.00 Daily	221 Daily.
Washer man	8,250/- Monthly.	6,630/- Monthly.

Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	290.55 Daily. 8,717/- Monthly	231.88 Daily, 6,956/- Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	319.17 Daily. 9,575/- Monthly	251.92 Daily 7,558/- Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must

posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

16. Safai Karamchari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20.05.2020 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 275.00	Rs.8,250/-
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs.283.47	Rs. 8,504/-

Skilled

Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, **Rs 319.17** **Rs. 9,575/-**
Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled

Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer, **Rs. 379.50** **Rs. 11,385/-**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must

posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20.05.2020 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 275.00	Rs.8,250/-
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 283.47	Rs.8,504/-
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 319.17	Rs.9,575/-

Highly Skilled

Security Officer, Security Manager,

Rs.379.50

Rs.11,385/-

Stenographer and Accountant.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20.05.2020 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	275.00 Daily	249.47 Daily
	8,250.00 Monthly	7,484/- Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest	290.55 Daily	264.12 Daily

Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, 8,717/- Monthly 7,924/- Monthly
Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali,
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and
Complaint Attendant.

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit,	319.17 Daily	293.37 Daily
Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	9,575/-Monthly	8,801/-Monthly

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan	332.12 Daily.	307.40 daily
Singer, Stenographer, and Accountant.	9,964/- Monthly	9,222/- Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment

or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-L dated 21.07.2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2020;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20.05.2020 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2020;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2020** as per recommendations of the said Committee as under:-

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :-	Rs.275.00	Rs. 8,250/-

Peon, Office Boy and Masalchi.

Semi-skilled:- **Rs.283.47 per day**

Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant. **Rs. 8,504/- per month**

Skilled:-

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, **Rs. 319.17 per day**
Clerk, Computer Operator, Data Entry **Rs. 9,575/- per month**
Operator and Cashier.

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer **Rs. 379.50** **Rs. 11,385/-**
and Accountant.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions

made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

(Kamlesh Kumar Pant)

Principal Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-L

Dated Shimla-2, the

21st July, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 30.05.2020.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **कृषि** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018 तारीख 24.04.2018 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से **275/- रूपए प्रतिदिन या 8,250/- रूपए प्रतिमास** की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पण:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: —

(i) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/ (क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20.05.2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01.04.2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

संशोधित
दैनिक मजदूरी
मासिक

अकुशल कर्मकार:

भिशती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्पर ग्रेड- II/ गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्योरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रेक्टर एंव रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।

रुपए
275.00 रुपए
8,250/-

अर्धकुशल कर्मकार:

कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड—II / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड—II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ क्रेन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट

रुपए
292.00 रुपए
8,760/-

मैन) / केन-मैन / डिस्टैम्पर ग्रेड-।/फिटर ग्रेड-।। फलोर-पालिशर/
 / स्टोन ड्रेसर / माली / वेल-सिंकर / वहाइट-वाशर/ वर्कशाप
 मैकेनिक ग्रेड-।।, टर्नर-ग्रेड- -।। / पाइप फिटर ग्रेड-।। / ब्रिक
 मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वेलडर /
 सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी) / हैमरमैन/कुक /
 वल्कनार्डजर/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रौली आपरेटर / एटैन्डेन्ट
 (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन /
 हैल्पर (5 साल और इससे अधिक)/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट /
 हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर
 / पम्प-एटैन्डेन्ट / औटा इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-।। / गार्डनर / गेज-रीडर
 / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / औटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर-मेट /
 इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/

स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-क्रेशर

1½ इंच से 2 इंच
 1630.42/- रुपए प्रति सौ
 घन फुट

1 इंच से 1¼ इंच रुपये
 18.18.64/- रुपए प्रति सौ
 घन फुट

रु. पै. रु. पै.
 319.17 9,575/-

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड- ।/ मैसन ग्रेड- ।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर
 ग्रेड-।/अप-होलसल्टर ग्रेड- । / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर
 / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड-।। / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड- ।।
 / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- ।/दर्जी
 या टेलर ग्रेड-।। / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर
 / पलम्बर ग्रेड-। / पाइप फिटर ग्रेड-।/आटो ड्राइवर / सहायक मैकेनिक
 / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड-।। /
 वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर
 / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कृषिग प्लांट फिटर
 / (बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च
 फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट
 फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर
 आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्केपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर /
 केन-आपरेटर / युक्लिड-आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर /
 बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. केन आपरेटर/ (बी.) प्लांट-आपरेटर /
 आइस प्लांट आपरेटर या वेलडर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन
 स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन

आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर /विन्च
फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर /क्लाइमबर / मोल्डर /लेवलरज सॉ
मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड—।। /खलासी (8 साल से
अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर
शोवेल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको-आपरेटर/ गलेजड-टाइपड
कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्ट्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर
/ टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।।।.

उच्च कुशल

	रु०. पै.	रु०. पै.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- । / चार्ज मैन ग्रेड-। / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-। / टर्नर ग्रेड-।/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्ट्री और कारपेन्टर मिस्ट्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड-। / सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	379.50	11,385/-

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क /बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैंरो-प्रिंटर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	319.17	9,575/-

टिप्पण:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01.04.2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018 तारीख 24.04.2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20.05.2020 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01.04.2020 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैलपर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	275 /-रुपए प्रतिदिन	8,250 /-रुपए प्रतिमास
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)	275 /-रुपए प्रतिदिन	8,250 /-रुपए प्रतिमास
(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।	285.17/-रुपए प्रतिदिन	8,555 /-रुपए प्रतिमास

अर्ध-कुशल

1. सहायक इलेक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलेक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आईटीआई का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षरा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

रु 311.52 प्रतिदिन
या
रु.9,346/-
प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर ।	रु0 345.50 प्रतिदिन या रु. 10,365/- प्रतिमास
जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि	

ग्रुप –ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।	रु0 311.52 प्रतिदिन या रु. 9,346/- प्रतिमास
--	--

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।	रु0 327.50 प्रतिदिन या रु. 9,825/- प्रतिमास
---	--

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।	रु0 386.25 प्रतिदिन रु. 11,588/- प्रतिमास
---	--

रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर	रु0 349.12 प्रतिदिन
2 कन्डकटर	रु. 10,474/- प्रतिमास
	रु0 318.60 प्रतिदिन
	रु. 9,558 /- प्रतिमास
3 कलीनर कम कन्डकटर	रु0 298.12 प्रतिदिन
	रु. 8,944 /- प्रतिमास
4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	रु0 168.72 प्रतिदिन
	रु. 5,062/- प्रतिमास

टिप्पण:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह

व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और
उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास, सुविधा
गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / **रु० 275.00 प्रतिदिन** **रुपए 249.47 प्रतिदिन**
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची **रुपए 8,250.00** **रुपए 7,484/- मासिक**
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / **मासिक**
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर /
क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार
/ फायरमैन /
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो
अकुशल कार्य कर रहा हो ।

अर्धकुशल:

हैडपोर्टर / पेंटरिमैन / काफी टीमेकर / **रु० 290.55 प्रतिदिन तथा रु० 8,717/- प्रतिमाह**
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर **रु० 264.12 प्रतिदिन तथा रु० 7,924/- प्रतिमाह**
(सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक

-आपरेटर/वाइंडर एसीस्टेंट
 /बिल-कलैक्टर/कनवैसर/कुक/असिस्टेंट-
 हलवाई/बुक-बाइंडर/स्टीचर
 /रूलिंग-कटिंग औक्शनर/माली/
 सीवरमैन/होटल-गाइड
 /सहायक मिस्त्री/सहायक-फिटर/
 सहायक-टर्नर/सहायक/वैल्डर
 सहायक-इलैक्ट्रिशियन/सहायक-वैल्डर/
 सहायक-सेल्जमैन/सहायक-बारबर/धोबी
 /प्रेसमैन/बॉयलर-मैन/
 फिल्म-रिवाइंडर/वेटर/वेयरर/ऐसिसटेंट
 रेडियो मकैनिक/पेंटर/व्हाइट वॉशर/
 पकौड़ा और चना मेकर/कलर्क/(नॉन
 मेट्रिक/सहायक स्टोर कीपर/डिस्ट्रीब्यूटर
 व सहायक-मशीनमैन/इनक्वायरी अटैन्डेन्ट
 /टेलीफोन अटैन्डेन्ट/आई.टी.आई प्रमाण
 पत्र सर्टिफिकेट धारक।

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर /
 रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर /
 ड्राइवर /सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/
 स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक/हलवाई कुक/
 कन्फैक्शनर / बेकर/ बटलर/फिटर /
 ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर /
 कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल
 कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा
 आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर
 / बारबर /रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट /
 वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/क्लर्क
 (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम / रिसैपशनिस्ट /
 वेटर/ वियरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर /
 हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/
 लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो
 इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रु० 319.17 प्रतिदिन रुपए 293.37 प्रतिदिन
 रु० 9,575/- मासिक रुपए 8,801/- मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार रु० 332.12 प्रतिदिन रु० 307.40 प्रतिदिन
/ मुख्य खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर रु० 9,964/-मासिक रु० 9,222/- मासिक
/ हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर
/ हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
/ सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पण:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
1 अकुशल कर्मकार		
वृक्षों का गिराना	रुपए 275.00	रुपए 8,250 /-
1 लेबर (छांगी)	रुपए 290.55	रुपए 8,717 /-
2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /-
2 लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पारसिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /-
2. सायर (चिरानी)	रुपए 345.50	रुपए 10,365 /-
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 324.40	रुपए 9,732 /-
3 दुलान, ढेरी लगाना और शारिरीक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. दुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /-
2. इमारती लकड़ी को लादने और उतारने के	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /-

लिए मज़दूर।

4	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 345.50	रुपए 10,365 /—
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 324.40	रुपए 9,732 /—
5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फ्लोटिंग) द्वारा ढुलाई:		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 370.15	रुपए 11,105 /—
	2. तारू	रुपए 355.27	रुपए 10,658 /—
	3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 332.12	रुपए 9,964 /—
	4. दरियामैन	रुपए 355.27	रुपए 10,658 /—
	5. घालू	रुपए 302.17	रुपए 9,065 /—
	6. जमादार	रुपए 302.17	रुपए 9,065 /—
6	यत्रीकृत लोडिंग और लकड़ी की निकासी:		
	1. सर्वेयर	रुपए 347.57	रुपए 10,427 /—
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 324.40	रुपए 9,732 /—
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 304.30	रुपए 9,129 /—
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 304.30	रुपए 9,129 /—
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 400.12	रुपए 12,004 /—
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 308.97	रुपए 9,269 /—
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /—
8	साँ मिल वर्कर :		
	1. बैंड साँ मिस्त्री	रुपए 324.40	रुपए 9,732 /—
	2. सुपरवाइजर	रुपए 321.29	रुपए 9,639 /—
	3. हैड मिस्त्री	रुपए 324.40	रुपए 9,732 /—
	4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 324.40	रुपए 9,732 /—
	5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 285.17	रुपए 8,555 /—
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 285.17	रुपए 8,555 /—
	7. हैल्पर	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /—
	8. कटर मैन	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /—

9

कत्था निकासी :

1. फ़ैलर तथा चिप्पर	रुपए 281.12	रुपए 8,434 /—
2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 280.55	रुपए 8,417 /—

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर, हैडफोरमैन मासिक	रुपए 379.50 दैनिक	रुपए 11,385 /—
---	-------------------	----------------

टिप्पण:-

- 1 एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख:

शिमला-2

21 जुलाई, 2020

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।

9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें	
	दैनिक	मासिक
अकुशल:	रूपए	रूपए
	275.00	8,250 /-

अर्धकुशल:	दैनिक	मासिक
	रूपए	रूपए

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	283.47	8,504 /-
---	--------	----------

कुशल:

दैनिक मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिस्टेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड- II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन्, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

दैनिक मासिक

उच्च-कुशल:

बॉयलर एटेंडेंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए
379.50 11,385 /—**टिप्पण:**

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य

में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल	275.00	8,250/-

अर्धकुशल:

टेपर ग्रेड- III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड- III, मशीनमैन, मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड- III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III, असैम्बलर ग्रेड- III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर,	रूपए 283.47	रूपए 8,504
--	----------------	---------------

इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III, ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड- III, थ्रैड/रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, वैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड- III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।

कुशल:

	रुपए	रुपए
टेपर ग्रेड- II, टर्नर ग्रेड- II, ड्रिलर ग्रेड- II, शेपर ग्रेड- II, शेपर मैन ग्रेड- II, स्लाटरमैन ग्रेड- II, मकैनिक आपरेटर/ब्रजर ग्रेड- II, लाईनर ग्रेड- II, स्प्रे पैंटर ग्रेड- II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड- II, प्रैस आपरेटर ग्रेड- II, असैम्बलर ग्रेड- II, टेलर ग्रेड- II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- II, मोपर ग्रेड- II, ग्राइंडर ग्रेड- II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड- II, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड- II, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- II, फिटर ग्रेड- II, कारपेंटर /पैट रन मेकर ग्रेड- II, डाईमेकर ग्रेड - II, साइस्टर ग्रेड- II, वैल्डर ग्रेड- II, टिनस्मिथ ग्रेड- II, हैमरमैन ग्रेड- II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- II, टूलसैटर ग्रेड- II, इलैक्ट्रिकल लाईनमैन ग्रेड- II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड- II, आरमैचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड- II, केबल ज्वाईटर ग्रेड- II, वाऊचर इन्सपैक्टर ग्रेड- II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड- II, मोल्डर ग्रेड- II, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।	319.17	9,575

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड- I, ग्राइंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड- I, शेपर मैन ग्रेड- I, सलाटरमैन ग्रेड- I, मिलर ग्रेड- I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड- I, फिटर ग्रेड- I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड- I, डाईमेकर ग्रेड- I, एन्ग्रेवर ग्रेड- I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- I, डाईसैटर ग्रेड- I, टूल सैटर ग्रेड- I, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड- I।	रुपए 379.50	रुपए 11,385/-
--	----------------	------------------

क्लेरिकल स्टाफ:

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।	रुपए 295.02	रुपए 8,851/-
---	----------------	-----------------

टिप्पणः—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़नें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट -छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।	रुपए रुपए 275.00 दैनिक 8,250/- मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **19.89** रुपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **15.74** रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे **11.73** रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के –‘ए’,‘बी व ‘सी’ ग्रेड के लिए **19.89** रूपए, **15.74** रूपए और **11.73** रूपए प्रति किलो की दर से मिलेगे ।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को **279.57** रूपए प्रतिदिन, **8,387 /-** रूपए प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मजदूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, सार्टज, टी-मेकर्स,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

रूपए **275 /-** दैनिक और

रूपए **8,250 /-** मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

रूपए **275.00** रूपए दैनिक

रूपए **8,250 /-** मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी

स्टाफ

1. लेखाकार रूपए **420.22** प्रतिदिन रूपए **12,607** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रूपए **319.17** प्रतिदिन रूपए **9,575** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रूपए **334.53** प्रतिदिन रूपए **10,036** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपरासी / चौकीदार / चौधरी रूपए **279.57** प्रतिदिन रूपए **8,387** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक जो अनुज्ञेय हैं ।

दैनिक

मासिक

5. कम्पाउन्डर

रूपए **389.27**

रूपए **11,678 /-**

6. ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)

रूपए **349.12**

रूपए **10,474 /-**

7. मकैनिक

रूपए **392.40**

रूपए **11,772 /-**

8.	असिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 347.57	रूपए 10,427 / -
9.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - I	रूपए 392.40	रूपए 11,772 / -
10.	इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - II	रूपए 347.57	रूपए 10,427 / -

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
4. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड-ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार प्रतिमास	रूपए 275.00 प्रतिदिन या रूपए 8,250/-
अर्द्ध-कुशल प्रतिमास	रूपए 283.47 प्रतिदिन या रूपए 8,504/-
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रूपए 319.17 प्रतिदिन या रूपए 9,575/- प्रतिमास
उच्च कुशल टिप्पण:	रूपए 379.50 प्रतिदिन या रूपए 11,385/- प्रतिमास

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21जुलाई, 2020

10.होटल और रैस्टोरेंट

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां संयुक्त
उपलब्धनहीं करवाई आवास और खाना,चाय
गई है आदि की प्रसुविधा
उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल: 1.

2. 3.

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची
/ गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लैकरूम
अटैंडेंट / पोटर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन
/ पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो
अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

रूपए 275.00 रूपए 249.47 दैनिक

रूपए 8,250/- रूपए 7,484/-
मासिक

मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैंट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईडर / सटिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट वैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन / असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन / फिल्म रिवाईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए-290.55 प्रतिदिन रूपए 8,717 / - मासिक	रूपए 265.11 प्रतिदिन रूपए 7,953 / - मासिक
--	--	--

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वेयरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए 319.17 दैनिक रु० 9,575 / - मासिक	रूपए 293.37 दैनिक रूपए 8,801 / - मासिक
--	--	---

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।	रूपए 332.12 दैनिक रु० 9,964 / - मासिक	रूपए 307.40 दैनिक रूपए 9,222 / - मासिक
--	--	---

टिप्पणः

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

11. निजी भौक्षिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी भौक्षिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01.04.2020** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रु0 275.00 प्रतिदिन या रु0 8,250/- प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	रु0 290.55 प्रतिदिन या रु0 8,717/- प्रतिमाह
कुशल	रु0 319.17 प्रतिदिन या रु0 9,575/- प्रतिमाह
उच्च कुशल	रु0 332.12 प्रतिदिन या रु0 9,964/- प्रतिमाह

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

निर्धारित

मजदूरी

दैनिक

मासिक

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का **रु.275.00**

रु.8,250 / -

सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक,

प्लांट ऑपरेटर का सहायक,एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक,

कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का

सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का

सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो

इलैक्ट्रीशियन का सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक,

कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेड, जनरेटर अटेन्डेड, टीएम अटेन्डेड, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर—कम—बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक ब्रूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्ध—कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटेन्डेण्ट, जनरेटर अटेन्डेड, लोकोमोटिव अटेन्डेण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेड, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेट्री सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटेण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेड, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट

रु.292 /—

रु

8,760 /—

अटैन्डैण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, कर्लक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

रु.319.17

रु.

9,575 / -

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक,

रु.379.50

रु.

11,385 / -

कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " फार्मास्यूटिकल उद्योग "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.

04.2020 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20.05.2020 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2020 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2020 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार

निर्धारित

मजदूरी

दैनिक

मासिक

पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर,

रु.275

रु.8,250 /-

हाउस कीपींग हैल्पर, चपरासी, ।

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स

रु.283.47

रु.8,504 /-

(आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड,

एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट

अटेन्डेंट, ।

कुशल कर्मकार :-

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई **रु.319.17** **रु.9,575 /-**
डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर,
इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क,
कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, **रु.379.50** **रु.11,385 /-**
मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट,
बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
----------------------	--	--

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन्, चपरासी,	रु. 275.00 दैनिक	रु. 249.47
रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।	रु. 8,250 /-	रु. 7,484 /- मासिक
	मासिक	

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

कलीनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीस्टेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, वार्ड ब्वाय /वार्ड अटेन्डेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)	रु.290.55 दैनिक रूपए	रु.264.12 दैनिक रु.7,924 /- मासिक
---	----------------------	-----------------------------------

कुशल कर्मकार :-

रिसंपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।	रु. 319.17 दैनिक रूपए	रु.293.37 दैनिक रु.8,801 /- मासिक
---	-----------------------	-----------------------------------

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनोग्राफर ।	रु.332.12 दैनिक रूपए	रु.307.40 दैनिक रु.9,222 /- मासिक
---	----------------------	-----------------------------------

टिप्पण:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की

जाएगी।

3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

15. घरेलू कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय
उपलब्ध नहीं और संयुक्त आवास
करवाई गई है सुविधा उपलब्ध
करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालाची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।

रु. 275.00 दैनिक	रु. 221 दैनिक
रु. 8,250/-	रु. 6,630/-
मासिक	मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्वोरिटी गार्ड, माली ।

रु. 290.55 दैनिक	रु.231.88 दैनिक
रु.8,717 /-	रु.6,956 /-
मासिक	मासिक

कुशल कर्मकार :-

कुक और चालक

रु. 319.17 दैनिक	रु.251.92 मासिक
रु.9,575 /-	रु.7,558 /-
मासिक	मासिक

टिप्पण:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख:

शिमला-2

21 जुलाई, 2020

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।

9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	निर्धारित	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:-	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रु.275.00	रु. 8,250/-
अर्ध- कुशल कर्मकार :-		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर,	रु.283.47	रु. 8,504/-
एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।		

कुशल कर्मकार :-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

रु.319.17 रु.
9,575 / -

उच्च कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर और स्टेनो ग्राफर।

रु.379.50 रु.
11,385 / -

टिप्पण:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और

जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर और वॉच मैन ।

निर्धारित

दैनिक

रु.275.00

मजदूरी

मासिक

रु.

8,250 / -

अर्ध-कुशल कर्मकार:-

सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और
कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट ।

रु.283.47

रु.

8,504 / -

कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क,
कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

रु.319.17

रु.

9,575 / -

उच्च कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी ऑफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट रु.379.50 रु.

|

11,385 /—

टिप्पण:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
6. गैर जनजातियों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और
उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रु.275.00 दैनिक

रु.249.47 दैनिक

रु.8,250/-

रु.7,484/- मासिक

मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट।	रु.290.55 दैनिक	रु.264.12 दैनिक
	रु.8,717 /—	रु.7,924 /— मासिक
	मासिक	

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कौशियर ।	रु.319.17 दैनिक	रु. 293.37 दैनिक
	रु.	रु.8,801 /— मासिक
	9,575 /—मासिक	

उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट,	रु.332.12 दैनिक	रु.307.40 दैनिक
	रु.	रु.9,222 /—मासिक
	9,964 /—मासिक	

टिप्पण:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज

तारीख: शिमला-2

21 जुलाई, 2020

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2020** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018- तारीख 24.04.2018 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20.05.2020** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01.04.2020** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01.04.2020** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।	रु.275.00	रु.8,250 /-
अर्ध-कुशल कर्मकार :-		
कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट ।	रु.283.47 प्रतिदिन	रु. 8,504 /-प्रतिमाह
कुशल कर्मकार :-		
इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रु.319.17 प्रतिदिन	रु. 9,575 /-प्रतिमाह

उच्च कुशल कर्मकार :-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

रु.379.50

रु.

प्रतिदिन

11,385 /—प्रतिमाह

टिप्पण:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।
आदेश द्वारा,

(कमलेश कुमार पंत)
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-लूज तारीख: शिमला-2 21 जुलाई, 2020

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (Lab)M.W./8/07 तारीख 30.05.2020 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

